(50)

01 JUN 2018

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० C.F.Rs 20/-

निगरानी- 4338/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

रामदयाल तनय हर प्रसाद यादव (स्व०)

निवासी- ग्राम गुड़ानदी तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म०प्र०

--- आवेदक

|| बनाम ||

म०प्र० शासन द्वारा तहसीलदार जतारा

--- अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू- राजस्व संहिता 1959

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-

(1):- यह कि आवेदक द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 398-अ - अपील वर्ष 2016-17 आदेश दिनांक 8-5-2018 से परिवेदित होकर श्रीमान के समक्ष [illegible] प्रस्तुत कर रहा है।

श्री राजेश जैन अधिवक्ता सागर द्वारा प्रस्तुत.
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4338/2018/टीकमगढ़/भू0रा0

रामदयाल विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –5–2019	आवेदक अभिभाषक श्री राजेश सेन उपस्थित। आवेदक अभिभाषक की ओर से कायमी पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2/ प्रकरण में उपलब्ध प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी जतरा के समक्ष 18 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी परिसीमा अधिनियम के तहत आदेश पारित कर अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त ने विस्तार से विवेचना कर उचित पाया है। 18 वर्ष के दीर्घकालिक विलम्ब को पर्याप्त एवं समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर ही क्षमा किया जा सकता है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर. के. जैन) 10/5/19 सदस्य	